महत्वपूर्ण।

संख्या- 495/पांच-1-2015-5(44)/15

प्रेषक,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुश्रवण एवं मूल्यांकन,
परिवार कल्याण निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 21 सितम्बर, 2015

विषयः- नसबंदी कराने वाली महिलाओं को '102' नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज (एन0ए0एस0) के अंतर्गत ड्राप बैक सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मामले में प्रेषित अपने पत्र संख्या-प0क0(9)/अ-अ-70/(102-एन0ए0 एस0)/2014-15/11631, दिनांक 21-3-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- प्रदेश में निजी सेवा प्रदाता के माध्यम से '102' एम्बुलेंस सेवा के संचालन हेतु शासनादेश संख्या-1080/पांच-9-2013-9(90)/13, दिनांक 19 जुलाई 2013 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर संख्या-2 (2) में निम्नलिखित व्यवस्था अंकित की गयी है :-

> '102' एम्बुलेंस सेवा प्रदेश के समस्त ग्रामीण् एवं नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध करायी जायेगी तथा जननी सुरक्षा योजना एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं एवं बीमार शिशुओं को निकटतम राजकीय स्वास्थ्य इकाई पर पहुंचाया जायेगा एवं ड्राप बैक सुविधा भी प्रदान करायी जायेगी। गंभीर रोगियों को स्थानीय चिकित्सा इकाई पर उपलब्ध चिकित्सक के परामर्श के अनुसार उच्च स्तरीय चिकित्सा इकाईयों में जनपदीय एवं अंर्तजनपदीय संदर्भन हेतु भी उपयोग में लाया जायेगा। यह सुविधा 24 घण्टे 365 दिन सेन्ट्रलाइज्ड काल सेंटर "102" के माध्यम से नि:शुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।"

3- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय के पत्र संख्या-11024/2/2014-एफ0पी0, दिनांक 30 जनवरी 2015 द्वारा 102 एम्बुलेंसो के माध्यम से नसबन्दी कराने वाले लोगो (Sterilization Clients) को ड्राप बैक की सुविधा उपलब्ध कराने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रदान किये गये उक्त अनुमोदन के क्रम में '102' एम्बुलेंस सेवा संचालनकर्ता फर्म जीवीके जननी शिशु सुरक्षा (यू0पी0) लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या-जीवीके/जेएसएस/पीपीपी/2014-15/908, दिनांक 17-3-2015 के माध्यम से इस सम्बन्ध में अपनी सहमति उपलब्ध करायी गयी है।

4- वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-1080/पांच-9-2013-9(90)/13, दिनांक 19 जुलाई 2013 के प्रस्तर-2(2) में '102' एम्बुलेंस सेवा प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की सूची में नसबंदी कैम्पों में (Day Care Surgery) नसबंदी कराने वाली महिलाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। उक्त महिलाओं को केवल ड्राप बैक की सुविधा अनुमन्य होगी, किन्तु गर्भवती माताओं एवं बीमार शिशुओं को निकटतम राजकीय स्वास्थ्य इकाई तक पहुंचाने को वरीयता प्रदान की जायेगी।

5- उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-1080 /पांच-9-2013-9(90)/13, दिनांक 19 जुलाई 2013 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है।

भवदीय,

(**अरविन्द कुमार**)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
2- प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
5- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6- समस्त जिलाधिकरी, उ0प्र0।
7- समस्त अपर मण्डलीय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।
8- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0/समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, राजकीय चिकित्सालय, उ0प्र0।
9- जीवीके जननी शिशु सुरक्षा (यू0पी0) लखनऊ ।
10- समस्त अनुभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**ए0पी0 सिंह**)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।